

पत्र सं० / जी०एस०टी० ऑडिट / २०२१-२२ / १०३/२०२१०१८ / वाणिज्य कर।
कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(जी०एस०टी० ऑडिट)

लखनऊः दिनांकः १७ अगस्त, २०२१

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र सं० धारा-५९-VAT MIS/19-20/41(परिपत्र सं० 1920013) / वाणिज्य कर दिनांक 30.04.2019 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा डीलर मानीटरिंग सिस्टम को अद्यावधिक एवं रिटर्न नॉन फाइलर के व्यापारियों पर कृत कार्यवाही को सुसंगत बनाने हेतु कतिपय संशोधनों एवं कुछ नई प्रविष्टियों हेतु सुविधायें विकसित की गयी थी। इसी के अन्तर्गत प्राप्त ऑफिसर द्वारा नॉन फाइलर को नोटिस जेनरेट करने का कार्य किया जाता है।

जी०एस०टी०एन० द्वारा BOWEB Portal पर धारा-४६ के अन्तर्गत रिटर्न डिफाल्टर्स के संबंध में Functionality बनायी गयी है जो निम्न प्रकार है:-

"Functionality to send "Notice to Return Defaulter(GSTR3A) U/S 46" is active on BOWEB portal & as per GSTN Notice is sent to Taxpayer automatically via System after 6 days of due date of filing the GSTR3B return.

Now tax official can see List of taxpayers who are return defaulters to whom notices are already sent In BOWEB portal via Statutory Functions> Quick Links>Notice to Return Defaulters (GSTR-3A).

Also tax official can see list of Non-Filers who have not filed return after 15 days notice is sent to taxpayer via Statutory Functions>Quick Links>View Non Filers.

Also tax official can start proceeding of "Assessment of Non-Filers" via Statutory Functions>Quick Links>View Non Filers."

इस प्रकार उपरोक्त के दृष्टिगत अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, कि पूर्व में Dealer Monitoring System के अन्तर्गत रिटर्न नॉन फाइलर को नोटिस निर्गत नहीं की जायेगी। इसके स्थान पर जी०एस०टी०एन० द्वारा BOWEB Portal पर दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

यह पत्र कमिशनर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

17.८४.२०२१
(अशफाक अहमद)
एडीशनल कमिशनर(जी०एस०टी०)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।